(भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-।।, खंड-3, उप-खंड (i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 20/2019- एकीकृत कर (दर)

नई दिल्ली, दिनांक 30 सितम्बर, 2019

सा.का.नि........ (अ.)- एकीकृत माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 6 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है और परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 9/2017-एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 684 (अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-।।, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 7 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में शब्दों और कोष्ठक "बीस लाख रुपए (किसी विशेष प्रवर्ग राज्य की दशा में दस लाख रुपए)" के स्थान पर निम्नलिखित शब्दों, कोष्ठक और अंकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-

"इतनी राशि थी जितने से कि वे केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के अंतर्गत पंजीकरण से छूट प्राप्त करने के पात्र हों"

(ख) क्रम संख्या 10क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा :-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"10कक	अध्याय 99	भारत में आयोजित होने वाली FIFA U-17 महिला विश्व कप, 2020 के अंतर्गत किसी	शून्य	बशर्ते कि निदेशक (खेल), युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय यह

		भी समारोह में प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: फेडरेशन इंटरनेशल डी फुटबाल एसोसिएशन (FIFA) और इसके सहायक संगठनों के द्वारा या इनको प्रदान की जाने वाली सेवाएं ।		प्रमाणित कर दे कि ये सेवाएं प्रत्यक्षत: या अप्रत्यक्षत: FIFA U-17 महिला विश्व कप, 2020 के अंतर्गत आने वाले समारोह से संबंधित हैं ।";

(ग) क्रम संख्या 12क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"12कक	शीर्षक 9961	किसी मध्यस्थ द्वारा प्रदान की गई सेवा जब ऐसे माल के आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों ही कर वाले भू-क्षेत्र से बाहर हों ।	शून्य	कम से कम पांच वर्ष तक निम्नलिखित दस्तावेजों को सुव्यवस्थित रखना होगा: 1) बिल ऑफ लैडिंग की प्रति; 2) माल के आपूर्तिकर्ता/विक्रेता और प्राप्तकर्ता और क्रेता दोनों के बीच हुए अनुबंध की प्रति; 3) गैर कर वाले भू-क्षेत्र में अव्यवस्थित सेवा प्राप्तकर्ता से कर वाले भू-क्षेत्र के मध्यस्थ सेवा प्रदाता के द्वारा लिए गए कमीशन डेबिट नोट की

				प्रति; 4) गैर कर वाले भू-क्षेत्र में अव्यवस्थित सेवा प्राप्तकर्ता के द्‌वारा जारी किए गए मूलत: उत्पादन के प्रमाणपत्र की प्रति; 5) कर वाले भू-क्षेत्र के मध्यस्थ सेवा प्रदात्ता से कंपनी के लेटर हेड पर ली गई घोषणा-पत्र जिसमें यह अभिपुष्ट किया गया हो कि लिया गया कमीशन डेबिट नोट उस अनुबंध से संबंधित है जब माल के आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता दोनों ही कर वाले भू-क्षेत्र के बाहर हों।”;

(घ) क्रम संख्या 15 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, शब्द “कम” के पश्चात शब्द “या के बराबर” को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ङ) क्रम संख्या 20क के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि में, अंक “2019” के स्थान पर अंक “2020” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(च) क्रम संख्या 20ख के समक्ष, कॉलम (5) की प्रविष्टि में, अंक “2019” के स्थान पर अंक “2020” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(छ) क्रम संख्या 25क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"25ख	शीर्षक 9967 या शीर्षक 9985	अनाज, दालें, फल, नट्स और सब्जियां, मसाले, कोपरा, गन्ना, गुड़, कच्चे वनास्पति रेशे जैसे कि कपास, फ्लैक्स, जूट आदि, नील, गैर विनिर्मित तंबाकू, पान के पत्ते, तेंदू के पत्ते, काफी और चाय के भंडारण या वेयरहाउसिंग के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं	शून्य	शून्य";

(ज) क्रम संख्या 30क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"30ख	शीर्षक 9971 या शीर्षक 9991	केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (गृह मंत्रालय के अंतर्गत) समूह बीमा कोष के द्वारा संबंधित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की सामूहिक बीमा योजना के अंतर्गत अपने सदस्यों को जीवन बीमा से संबंधित दी गई या दिए जाने के लिए अनुबंधित सेवाएं	शून्य	शून्य";

(झ) क्रम संख्या 36 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में प्रविष्टि (थ) के पश्चात शब्द "(द) बंग्ला सस्य बीमा" को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(ञ) क्रम संख्या 47 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में जहां-जहां शब्द और कोष्ठक "बीस लाख रुपए (किसी विशेष प्रवर्ग राज्य की दशा में दस लाख रुपए)" आए हों, वहां-वहां उनके स्थान पर निम्नलिखित शब्द, कोष्ठक और अंक को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"इतनी राशि थी जितने से कि वे केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) के अंतर्गत पंजीकरण से छूट प्राप्त करने के पात्र हों"

(ट) क्रम संख्या 85 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

“85क	शीर्षक 9996	FIFA U-17 महिला विश्व कप, 2020 के अंतर्गत आयोजित होने वाले समारोह में प्रवेश के अधिकार देने के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं	शून्य	शून्य”;

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्तूबर, 2019 से लागू होगी ।

(फाइल संख्या 354/136/2019-टीआरयू)

(रूचि बिष्ट)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना संख्या 9/2017- एकीकृत कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 684 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 13/2019- एकीकृत कर (दर), दिनांक 31 जुलाई, 2019, सा.का.नि 540 (अ), दिनांक 31 जुलाई, 2019, के द्वारा संशोधन किया गया है ।